

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3001

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- मिथलेश सोनवानी

पिता/पति का नाम :- श्री मणीराम सोनवानी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 59

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3002

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- रविशंकर

पिता/पति का नाम :- भागीरथी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 109

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3003

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- रामनारायण नवरंगे

पिता/पति का नाम :- गयाराम नवरंगे

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 135

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3004

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- पुनी दास महंत

पिता/पति का नाम :- छोटू दास महंत

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 202

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3005

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- सुरेश कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता स्व. श्री वीजूराम साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 219

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3006

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- यशवंत सिंह

पिता/पति का नाम :- पिता श्री कौशल सिंह

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 236

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3007

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- पुनीत राम यादव

पिता/पति का नाम :- पिता श्री परदेशी राम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 261

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3008

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- राजेन्द्र सिंह तिलगाम

पिता/पति का नाम :- पिता स्व. श्री भानुसिंह तिलगाम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 292

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3009

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- सुखचंद कश्यप

पिता/पति का नाम :- पिता श्री झाड़ूराम कश्यप

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 312

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3010

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- राजकुमार गौतम

पिता/पति का नाम :- पिता श्री राजेन्द्र कुमार गौतम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 358

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3011

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- दिलकुमार यादव

पिता/पति का नाम :- श्री स्व. श्री परिमल यादव

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 397

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3012

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- सुरेश कुमार सिन्हा

पिता/पति का नाम :- श्री चैतराम सिन्हा

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 432

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3013

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- नंद कुमार तम्बोली

पिता/पति का नाम :- पिता श्री देवी सिंह तम्बोली

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 458

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3014

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- रमेश कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री शत्रूहन लाल साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 463

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3015

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- टिकेन्द्र कुमार सिन्हा

पिता/पति का नाम :- पिता श्री लक्ष्मण सिन्हा

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 484

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3016

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- दुश्यंत कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री नरोत्तम सिंह

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 495

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3017

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- रोशन लाल साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री भारत राम साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 513

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3018

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री पवन कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री ललित कुमार

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 516

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3019

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री बिरेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री श्यामलाल धीवर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 544

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3020

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री अरुण कुमार ओगरे

पिता/पति का नाम :- पिता श्री ललित कुमार ओगरे

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 579

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3021

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री सुधीर कुमार सिदार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री झनकराम सिदार

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 582

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3022

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री पंकज कुमार नामदेव

पिता/पति का नाम :- श्री प्रदीप नामदेव

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 717

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3023

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री उमाशंकर साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री बलाराम साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 719

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3024

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री संजीव जोशी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री राधेलाल जोशी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 760

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3025

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री नोकेश्वर कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री गोपाल राम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 797

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3026

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री मनीष कुमार वैष्णव

पिता/पति का नाम :- पिता श्री दुर्गा दास वैष्णव

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 820

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3027

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री संतोष कुमार चौहान

पिता/पति का नाम :- पिता श्री सुफल चौहान

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 893

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3028

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री हीरालाल

पिता/पति का नाम :- पिता स्व. श्री गजानंद

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 895

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3029

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री प्रकाश कुमार देवांगन

पिता/पति का नाम :- पिता श्री एम.एल.देवांगन

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 903

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3030

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री अनिल कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री भोजराम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 910

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3031

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री कांतिलाल नाग

पिता/पति का नाम :- पिता श्री लक्ष्मण सिंह नाग

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 928

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3032

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री देवदास जोशी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री मनबोध राम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 941

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3033

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री विवेक कुमार रत्नाकर

पिता/पति का नाम :- पिता श्री राम लखन रत्नाकर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 967

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3034

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री सतीश तिग्गा

पिता/पति का नाम :- पिता श्री नेशटर तिग्गा

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 978

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3035

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री रितेश कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री प्यारे लाल मेहर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 993

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3036

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री बेदराम

पिता/पति का नाम :- पिता श्री बिसाली

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1111

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3037

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री दिनेश कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री महावीर साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1114

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3038

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री राजेश कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री प्यारे लाल मेहर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1125

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3039

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री तेमेश दास मानिकपुरी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री ओमदास मानिकपुरी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1202

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3040

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- आशीष कुमार राठौर

पिता/पति का नाम :- पिता श्री भूपदेव सिंह राठौर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1234

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3041

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री सनत कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री चमरा राम साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1257

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3042

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री सनत कुमार कुर्रे

पिता/पति का नाम :- पिता श्री अघोरी लाल कुर्रे

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1325

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3043

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- देव कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री आद्रा कुमार

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1343

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3044

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- रहमान खान

पिता/पति का नाम :- पिता श्री इमाम खान

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1470

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3045

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री छोटे लाल रावत

पिता/पति का नाम :- पिता श्री सुकलाल रावत

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1512

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3046

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री सुरेन्द्र कुमार कुर्मी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री बद्री प्रसाद कुर्मी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1539

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3047

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- मिथुन कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- अंजोरी लाल यादव

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1556

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3048

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- पुनमदास मानिकपुरी

पिता/पति का नाम :- श्री गंगादास मानिकपुरी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1613

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3049

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री रविन्द्र मिंज

पिता/पति का नाम :- पिता श्री इशाक मिंज

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1711

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3050

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री सूरज कुमार लदेर

पिता/पति का नाम :- पिता श्री चन्द्रभुषण लदेर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1728

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3051

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री रविकांत यादव

पिता/पति का नाम :- पिता श्री कान्हू राम यादव

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1921

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3052

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री मनोज कुमार पटेल

पिता/पति का नाम :- पिता श्री अश्वनी कुमार पटेल

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 1971

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3053

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री भरत लाल साहा

पिता/पति का नाम :- पिता श्री नकुल साहा

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2031

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3054

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- आनंद साय पैकरा

पिता/पति का नाम :- श्री मोहन साय पैकरा

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2132

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3055

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री घनश्याम डनसेना

पिता/पति का नाम :- पिता श्री कन्हैया डनसेना

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2167

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3056

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री शीतल दास बघेल

पिता/पति का नाम :- पिता श्री शिवचरण दास बघेल

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2171

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3057

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री दिनेश कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री गंगादास साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2174

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3058

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री संजीव शरणागत

पिता/पति का नाम :- पिता श्री रामचंद्र शरणागत

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2271

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3059

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- अजय कुमार पटेल

पिता/पति का नाम :- पिता- श्री पुनीराम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2281

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3060

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- अनिल कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता- श्री प्रहलाद साहु

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2288

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3061

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- विरेन्द्र कुमार खाण्डेय

पिता/पति का नाम :- श्री रामलाल खाण्डेय

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2340

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3062

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री धर्मेन्द्र देवांगन

पिता/पति का नाम :- पिता श्री बिहारी लाल देवांगन

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2355

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3063

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री महेश कुमार कश्यप

पिता/पति का नाम :- पिता श्री पुनीराम कश्यप

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2360

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3064

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री भोग सिंह कंवर

पिता/पति का नाम :- पिता श्री फिरत सिंह कंवर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2386

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3065

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- प्रमोद कुमार तिवारी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री शिवकुमार तिवारी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2393

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3066

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- कुलेश्वर कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री रामेश्वर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2396

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3067

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- मनोज कुमार पटेल

पिता/पति का नाम :- पिता श्री पुनीराम पटेल

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2479

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3068

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- योगेश कुमार सोनी

पिता/पति का नाम :- तुलसीराम सोनी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2513

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3069

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- मुकेश कुमार डनसेना

पिता/पति का नाम :- श्री राम कुमार डनसेना

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2527

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3070

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- जितेन्द्र निर्णेजक

पिता/पति का नाम :- श्री आजूराम निर्णेजक

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2583

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3071

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री रेखलाल साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री दूजराम साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2624

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3072

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री टिकेश्वर

पिता/पति का नाम :- पिता श्री गोविन्द राम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2655

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3073

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री नोमेश कुमार गवेल

पिता/पति का नाम :- पिता श्री नरबदे प्रसाद गवेल

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2668

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3074

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री दानेश्वर सिंह

पिता/पति का नाम :- पिता श्री हरि सिंह

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2686

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3075

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री आयोध्या प्रसाद सोनी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री जीतराम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2709

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3076

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री चन्द्रभान सिंह

पिता/पति का नाम :- पिता श्री धनीराम पटेल

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2710

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3077

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्रीमति करुणा कंवर

पिता/पति का नाम :- पति श्री मणिन्द्र पाल सिंह

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2733

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3078

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- एसू राम

पिता/पति का नाम :- सोनू राम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2766

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3079

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- जितेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- पवन कुमार

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2792

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3080

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- अरविंद कुमार सूर्यवंशी

पिता/पति का नाम :- रूपरंजन सूर्यवंशी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2800

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3081

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी

पिता/पति का नाम :- रामप्रसाद द्विवेदी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2830

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3082

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- शिवम सिंह निषाद

पिता/पति का नाम :- श्री फूलसिंह निषाद

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 2845

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3083

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- राजेश कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री पल्लू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3027

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3084

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- धर्मेन्द्र कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- श्री ईश्वर लाल साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3214

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3085

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- तुलेश्वर सिंह

पिता/पति का नाम :- पिता श्री सोनू सिंह

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3239

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3086

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- सिद्धांत खिष्टी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री रजनी कांत खिष्टी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3243

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3087

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- सुरेन्द्र कुमार यादव

पिता/पति का नाम :- पिता श्री नारायण राम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3249

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3088

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- राजू कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री विजय कुमार

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3257

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3089

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- श्री कपिल देव पारकर

पिता/पति का नाम :- पिता श्री दीनानाथ पारकर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3279

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3090

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- जीवन लाल चौहान

पिता/पति का नाम :- श्री सूरत राम चौहान

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3282

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3091

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- अजय कुमार भैना

पिता/पति का नाम :- श्री दरश राम भैना

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3285

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3092

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- मुकेश कुमार राठौर

पिता/पति का नाम :- श्री फत्तेलाल राठौर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3289

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3093

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- चंद्रप्रकाश लहरे

पिता/पति का नाम :- श्री साहेब लाल लहरे

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 3290

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3094

आवेदित पद का नाम :- वाटरमेन

अभ्यर्थी का नाम :- योगेश कुमार कौशल

पिता/पति का नाम :- श्री नेमधारी कौशल

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 17.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>